(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3366-पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दि.23-8-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 162/अपील/2011-12

गोर्वधनसिंह पिता श्री हरिसिंहजी
निवासी ग्राम पिपलोदा, द्वारकाधीश,
परगना व जिला उज्जैन

.....आवेदक

विरूद्ध

1-श्रीमती कृष्णाकुमारी पिता हरिसिंह जी
निवासी ग्राम निनौरा तहसील व जिला उज्जैन
2-मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार उज्जैन

.....अनावेदकगण

श्री के0सी0बसंल, अभिभाषक--आवेदक

** आ दे श **

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-8-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन के समक्ष जन सुनवाई के दौरान एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के पिता की पैतृक कृषि भूमि पर केवल अनावेदक क्रमांक 1 के भाई का नामान्तरण कर प्रकरण गायब कर

देने का आवेदन प्रस्तुत कर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया । कलेक्टर जिला उज्जैन के द्वारा आवेदन अपील में दर्ज कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के द्वारा प्रकरण अपील में दर्ज कर दिनांक 30-9-2011 से विचारण न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 28 एवं 29/अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 23-6-2001 संदेहस्पद होने से निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर हरिसिंह के पुत्र आवेदक गोवर्धनसिंह के साथ हरिसिंह की पुत्री अनावेदक क्रमांक 1 कृष्णाकुमारी का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23-8-2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि आवेदक के माता पिता की स्वअर्जित संपत्ति होकर उनके द्वारा आवेदक के हित में वसीयत संपादित की गई थी जिसका उन्हें वैधानिक अधिकार प्राप्त था, किन्तु उक्त वसीयत को विश्वसनीय नहीं मानते हुये आलोच्य आदेश प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि आवेदक ने उसके माता-पिता की मृत्यु के उपरांत वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु ग्राम पंचायत पिपलोदा में आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करनेसे व प्रकरण विवादित होने से उसे ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रेषित किये थे जिसे तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश दिया गया किन्तु तहसील न्यायालय के आदेश को संदेहस्पद मानने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है । यह भी कहा गया अनावेदक क्रमांक 1 आवेदक की सगी बहन भी नहीं है इस संबंध में बिना किसी प्रमाण के अनावेदक को आवेदक की बहन मानते हुये उसका नाम जोडे जाने बावत् प्रदान किया गया अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दस वर्ष की अवधि बाद स्वविवेक से प्रकरण अपील में दर्ज करने में तथा कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में ऐसा आदेश प्रदान कर विधि की भूल की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में तहसील न्यायालय का प्रकरण उपलब्ध नहीं हुआ है । प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने वारिसान आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 का भी नाम दर्ज करने के आदेश दिये है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा है जबकि अपर आयुक्त ने तहसीलदार से आवेदक के पिता हरिसिंह के वारिसान की जो रिपोर्ट मांगी थी उसमें आवेदक/अनावेदक के अलावा और भी वारिसान थे, जिनको न तो पक्षकार बनाया गया है, और न ही सुना गया है तथा न ही उनके स्वत्वों पर विचार किया गया है। इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी पक्षों को सुनकर आदेश पारित करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-08-2012, अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-09-2011 एवं तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-06-2001 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में सभी पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर